

संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917

{सं० प्रा० अधिनियम संख्या 03, वर्ष 1917}

THE UNITED PROVINCES MEDICAL ACT, 1917

[U. P. Act No. III of 1917]

संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917¹

{संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1917}

(सं० प्रा० अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1922)

(सं० प्रा० अधिनियम संख्या 4, वर्ष 1931)

द्वारा संशोधित

गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया (एडेप्टेशन ऑफ इण्डियन लॉज) आर्डर, 1937 द्वारा
अनूकूलित तथा परिष्कृत।

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा अनूकूलित तथा परिष्कृत।

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 16 दिसम्बर, 1955 ई० तथा उत्तर प्रदेशीय
विधान परिषद् ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1955 ई० को बैठक में स्वीकृत किया।

{लेफ्टीनेन्ट गवर्नर ने 21 मई 1917 तथा गवर्नर जनरल ने 19 जुलाई 1917 को
स्वीकृत प्रदान की तथा गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1915 ई० की धारा 81 के अधीन 04
अगस्त, 1917 को प्रकाशित² हुआ।}

संयुक्त प्रान्त में कतिपय चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने के
लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में कतिपय चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण की
व्यवस्था की जाय :

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा
प्रारम्भ

(2) {इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।}³

(3) {धाराएं 30 तथा 32 उस दिनांक तक, जो {राज्य सरकार}⁵ {सरकारी गजट}⁶ में
अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करेगी, प्रवृत्त न होगी।

2— इस अधिनियम में :—

परिभाषाएं

(क) पद “चिकित्सा अधिनियमों” से मेडिकल ऐक्ट, 1958 तथा उसे
संशोधित करने वाले अधिनियम अभिप्रेत हैं;

(ख) पद “परिषद्” से धारा 3 के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है; और

(ग) पद “रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी” से इस अधिनियम के उपबन्धों
के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है।

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट, 1916, भाग 7, पृष्ठ 28 देखिये।

2. गजट 1917, भाग 7, पृष्ठ 875 देखिए।

3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा धारा 1 की उपधारा (2) के लिए प्रतिस्थापित।

4. धारा 30, जनवरी, 1919 से प्रवृत्त हुई, गजट 1918, भाग 1, पृष्ठ 289 में अधिसूचना संख्या
165/पांच-19, दिनांक 2 अप्रैल, 1918 देखिये तथा धारा 32, 19 सितम्बर, 1941 से
प्रवृत्त हुई, गजट 1941, भाग 1, पृष्ठ 442 में अधिसूचना संख्या
एन-161/पांच-601, दिनों 19 सितम्बर, 1941 देखिये।

5. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि
एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा शब्द (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

6. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा “गजट” के लिए प्रतिस्थापित।

{सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917}

{धारा

3-4}

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद्

3— एक परिषद् स्थापित की जाएगी और वह “[उत्तर प्रदेश] ³ चिकित्सा परिषद्” चिकित्सा	उत्तर प्रदेश
कहलाएगी तथा वह परिषद् एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।	परिषद् की स्थापना
4— उक्त परिषद् के तेरह ¹ सदस्य होंगे, जो निम्नलिखित रीति से नियुक्त किए जाएंगे; अर्थात् :—	परिषद् का संगठन
(क) एक अध्यक्ष, जो [राज्य सरकार] ⁵ द्वारा नाम—निर्देशित किया जाएगा;	
(ख) पाँच सदस्य, जो [राज्य सरकार] ⁵ द्वारा नाम—निर्देशित किये जायेंगे;	
{(ग) एक सदस्य, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;} ²	
(घ) एक सदस्य, जो ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जो —	
(एक) चिकित्सा अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई या लाहौर विश्वविद्यालयों के डाक्टर, बैचलर या लोसेन्शियेट ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ आब्सटेट्रिक्स अथवा मास्टर, बैचलर या लाइसेन्शियेट ऑफ सर्जरी हो;	
(दो) [उत्तर प्रदेश] ³ में रह रहे हों और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या प्रथम निर्वाचन की दशा में, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्ह हो; और	
(तीन) [{सरकार} ⁴ की सेवा में] ⁵ हो;	
(ङ) दो सदस्य, जो कि चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, जो [{सरकार} ⁴ की सेवा में] ⁵ न हो किन्तु अन्यथा खण्ड (घ) में विहित रीति से अर्ह हो;	
(च) एक सदस्य, जो कि चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जो खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) में विहित रीति से अर्ह न होते हुए ;—	
(एक) [उत्तर प्रदेश] ³ में रह रहे हों और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या प्रथम निर्वाचन की दशा में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्ह हों; आ	
(दो) [सरकार] ⁴ की सेवा में] ⁵ हो;	
(छ) [दो सदस्य] ⁶ , जो ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, जो सरकार की सेवा में न हो किन्तु अन्यथा खण्ड (च) में विहित रीति से अर्ह हो;	
(ज) एक सदस्य, जो [इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों] ⁷ के चिकित्सा स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा :	
1. सदस्यों की संख्या अब बढ़कर पन्द्रह हो गयी है [इस धारा की उपधारा (2) के अनुसार किया गया प्रतिस्थापित देखिये]	
2. सं० आ० अधिनियम संख्या 4, 1931 की धारा 1 (1) द्वारा खण्ड (ग) निकाला गया था और यह खण्ड जो सं० प्रा० अधिनियम सं० 5, 1922 की धारा 2 (1) के द्वारा खण्ड (घ) के रूप में अन्तर्विष्ट किया गया था, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 (2) खण्ड (ग) के रूप में संख्याकित किया गया था।	
3. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (युनाइटेड प्रोविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित। 4. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा सर्विस ऑफ गवर्नमेन्ट के लिए प्रतिस्थापित।	
5. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (काउन) तथा शब्द ‘राज्य सरकार’ (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।	
6. सं० आ० अधिनियम संख्या 4, 1931 की धारा 2 (2) द्वारा ‘एक सदस्य’ के लिए प्रतिस्थापित।	
7. सं० आ० अधिनियम संख्या 5, 1922 की धारा 2 (2) द्वारा ‘इलाहाबाद विश्वविद्यालय’ के लिए प्रतिस्थापित।	
{सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917}	{धारा
5—9}	
(2) प्रतिबन्ध यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वर्ष बीत जाने पर [इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों] ³ के चिकित्सा स्नातकों द्वारा एक के बजाय दो	

सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे और तत्पश्चात् उक्त परिषद् के सदस्य [चौदह]⁴ के बजाय [पन्द्रह]⁵ होंगे।

5— यदि धारा 4 में निर्दिष्ट कोई निर्वाचक निकाया धारा 10 में निर्दिष्ट किसी रिक्ति की दशा में तीन महीने के भीतर और किसी अन्य दशा में उस दिनांक तक, जो धारा 34 (2) नाम-निर्देशन

निर्वाचन न होने पर सदस्यों का

(क) के अधीन बनाए गए नियम द्वारा तदर्थ विहित किया जाए, किसी व्यक्ति को परिषद् का सदस्य होने के लिए निर्वाचित न करे तो [राज्य सरकार]¹ उसके स्थान पर सदस्य नाम-निर्देशित करेगी और इस प्रकार नाम-निर्देशित व्यक्ति ऐसा सदस्य समझा जाएगा, मानो वह ऐसे निकाय द्वारा यथाविधि निर्वाचित किया गया हो।

6— (1) कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य निर्वाचित या नाम-निर्देशित किए जाने के अनर्हताएं

सदस्यता के लिए

लिए अनर्ह होगा, यदि —

(क) वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो;

(ख) उसे किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जो छः महीने से अधिक अवधि के कारावास के दण्ड से दण्डनीय हो, कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो और बाद में ऐसे दण्ड को उलट न दिया गया हो या उसका परिहार न कर दिया गया हो और ऐसे दण्ड के कारण उस व्यक्ति की अनर्हता का ऐसे आदेश द्वारा, जिसे [राज्य सरकार]¹ यदि वह ठीक समझे तो तदर्थ करने के लिए एतद्वारा सशक्त है, परिहार न किया गया हो;

(ग) वह अनुमुक्त दिवालिया हो;

(घ) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त निर्णीत हुआ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम निर्वाचन होने पर और प्रथम नाम-निर्देशन किए जाने की दशा में, उपधारा (1) का खण्ड (क) इस प्रकार पढ़ा जाएगा, मानो वह इस रूप में हो —

“वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्ह न हो।”

7— परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित प्रत्येक व्यक्ति का नाम नामों का [राज्य सरकार]¹ द्वारा [सरकारी गजट]² में प्रकाशित किया जाएगा।

सदस्यों के प्रकाशन

8— परिषद् किसी सदस्य को परिषद् की बैठकों में छः महीने से अनधिक अवधि तक अनुपस्थिति

सदस्यों की

के लिए अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकेगी।

छुट्टी

9— (1) परिषद् के किसी ऐसे सदस्य के बारे में :—

आकस्मिक रिक्तियों का होना

(क) जो अपने नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से एक महीने के भीतर पद स्वीकार न करे;

1. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1939 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
2. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा “गजट” के लिए प्रतिस्थापित।
3. सं० आ० अधिनियम संख्या 5, 1922 की धारा 2 (3) द्वारा “इलाहाबाद विश्वविद्यालय” के लिए प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त द्वारा “तेरह” के लिए प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त द्वारा “चौदह” के लिए प्रतिस्थापित।

[सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917] {धारा 10—14}

(ख) जो बिना किसी ऐसे कारण के, जो परिषद् की राय में पर्याप्त हो, परिषद् की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे; या

(ग) जो लगातार छः महीने से अधिक अवधि तक भारत के बाहर रहे; या

(घ) जिसमें धारा 6 में वर्णित निर्योग्यताओं में से कोई निर्योग्यता हो जाय, यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्ति होने पर अध्यक्ष इस तथ्य की सूचना [राज्य सरकार]¹ को तुरन्त देगा।

10— यदि परिषद् के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्यता से त्याग—पत्र का दे दे या धारा 9 (1) में उपबन्धित रूप से सदस्य न रह जाय तो वह रिक्ति तीन महीने के भीतर, यथास्थिति, नए निर्वाचन या नाम—निर्देशन द्वारा भरी जाएगी।	आकस्मिक रिक्तियों भरा जाना
11— (1) परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि उसके पद स्वीकार करने के दिनांक से तीन वर्ष होगी। (2) कोई व्यक्ति अपनी पदावधि समाप्त होने के कारण सदस्य न रह जाने पर, उस दशा में जब वह धारा 6 में उल्लिखित किन्हीं कारणों से अनर्ह न हो, पुनः निर्वाचित या पुनः नाम—निर्देशित किए जाने का पात्र होगा।	सदस्यों की पदावधि
12— (1) परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक मतदान छः सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति न हो। (2) धारा 26 (1) (ख) में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से अथवा मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के निर्णायक मत से किया जाएगा। (3) परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध न समझी जाएगी कि परिषद् में कोई रिक्ति थी या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नाम—निर्देशन में कोई दोष था।	गणपूर्ति और
13— (1) इस अधिनियम तथा इस अधिनियम के अधीन {राज्य सरकार} ¹ द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगी :— (क) वे समय, जब और वे स्थान, जहाँ बैठकें की जाएगी; (ख) ऐसी बैठकें बुलाने के लिए नोटिसों का जारी किया जाना; और (ग) उनमें कार्य का संचालन। (2) उस समय तक, जब तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियम प्रवर्तित न हो जायं, अध्यक्ष के लिए यह वैध होगा कि वह प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित पत्र द्वारा ऐसे समय तथा स्थान पर, जो उसे इष्टकर प्रतीत हो, बैठक बुलाए।	बैठकों के सम्बन्ध में विनियम
14— परिषद् के सदस्यों को ऐसे व्ययों का भुगतान किया जाएगा, जो धारा 34 (3) का (क) के अधीन विनियम द्वारा समय—समय पर विहित किए जायं।	सदस्यों की व्ययों भुगतान
1. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1939 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया। {सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917}	{धारा 15—18}
15— (1) परिषद् {राज्य सरकार} ¹ की पूर्व मंजूरी से :— अन्य नियुक्त रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी; (ख) उस रजिस्ट्रार को छुट्टी स्वीकृत कर सकेगी तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी; और (ग) रजिस्ट्रार तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को (यदि कोई हो) ऐसा वेतन तथा ऐसे भत्ते (यदि कोई हो) देगी, जिन्हें परिषद् अवधारित करे। (2) परिषद् ऐसे अन्य अधिकारी तथा ऐसे लिपिक और सेवक नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे और उन्हें ऐसे वेतन और ऐसे भत्ते (यदि कोई हो) देगी, जिन्हें परिषद् अवधारित करे। (3) रजिस्ट्रार परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा।	रजिस्ट्रार तथा अधिकारियों की (क) एक

(4) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर

16— (1) परिषद् इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र सुविधानुसार और के

रजिस्टर रखे जाने

समय-समय पर, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर रखे जाने का विनियमन करने के लिए आदेश देगी।

सम्बन्ध में परिषद् के आदेश

(2) उक्त रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखा जाएगा, जो धारा 34(2) (ख) के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित किया जाय।

17— (1) रजिस्ट्रार इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिए गए किन्हीं आदेशों के में

रजिस्टर के सम्बन्ध

उपबन्धों के अनुसार चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर रखेगा और उसमें प्रविष्ट चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकृत पतों या नियुक्तियों में तथा रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं या पदवियों में समय-समय पर समस्त आवश्यक परिवर्तन करेगा और किन्हीं ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों के नाम रजिस्टर के काट देगा, जिनकी मृत्यु हो गई हो या जिन्होंने स्थायी रूप से भारत में चिकित्सा व्यवसाय करना छोड़ दिया हो।

परिषद् के कृत्य

(2) रजिस्ट्रार उपधारा (1) द्वारा उसको अधिरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किसी भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की डाक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत पते या नियुक्ति के अनुसार सम्बोधित किया गया पत्र, यह पता लगाने के लिए भेज सकेगा कि क्या उसने चिकित्सा व्यवसाय करना छोड़ दिया है या उसके निवास स्थान अथवा नियुक्ति में परिवर्तन हुआ है और यदि ऐसा पत्र प्रेषित किए जाने के छः महीने की अवधि के भीतर उसका कोई उत्तर प्राप्त न हो तो रजिस्ट्रार ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर से काट सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन काटा गया कोई नाम परिषद् के निदेश के अधीन रजिस्टर में फिर से प्रविष्ट किया जा सकेगा।

18—(1) अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, एतत्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन जाने के

रजिस्ट्रीकृत किए

रहते हुए और धारा 34 (3) (ख) के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा तदर्थ विहित फीस का भुगतान करने पर, चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।

हकदार व्यक्ति

1. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

{सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917} {धारा 19-20}

(2) प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके सम्बन्ध में वह यह समझे कि परिषद् धारा 26 (1) के अधीन कार्यवाही करने का विचार रख सकती है, रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए प्राप्त किसी आवेदन को परिषद् को निर्दिष्ट करेगा;

(3) प्रतिबन्ध यह भी है कि रजिस्ट्रार, यदि परिषद् द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करने से इन्कार करेगा, जिसके पास किसी ऐसे विदेश या ब्रिटिश उपनिवेश में प्रदान की गई कोई चिकित्सा उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, जो [भारत]² के विश्वविद्यालयों या [राज्य सरकारों]¹ की चिकित्सा उपाधियों, डिप्लोमाओं या प्रमाण-पत्र को मान्यता न देता हो।

19— यदि परिषद् का समाधान हो जाय कि :-
संशोधन

अनुसूची का

(क) किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा निगम, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था द्वारा दी गई कोई पदवी या प्रमाणित की हुई, कोई अर्हता इस बात की पर्याप्त गारन्टी है कि ऐसी पदवी या अर्हता रखने वाले व्यक्ति को औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा धात्री कर्म कुशलतापूर्वक करने के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रवीणता प्राप्त है; या

(ख) अनुसूची के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट पदवी या अर्हता यथापूर्वोक्त पर्याप्त गारन्टी नहीं है,

तो वह [राज्य सरकार]¹ को उस आशय की रिपोर्ट कर सकेगी, जो यदि उचित समझे [सरकारी गजट]³ में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि :-

(1) (क) की दशा में, ऐसी पदवी या अर्हता रखने से, एतत्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जो धारा 34 (3) (ख) के अधीन बनाए गए विनियम द्वारा तदर्थ विहित की जाय, कोई व्यक्ति अपना नाम चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा; या

(2) (ख) की दशा में, ऐसी पदवी या अर्हता रखने से कोई व्यक्ति अपना नाम उक्त रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार न होगा और तदुपरान्त अनुसूची, तदनुसार परिवर्तित की हुई समझी जाएगी।

20— परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह इलाहाबाद, [***]⁴ कलकत्ता, बम्बई या महाविद्यालय या

चिकित्सा

मद्रास विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालय या विद्यालय से भिन्न किसी ऐसे चिकित्सा जानकार माँगने

विद्यालय से
की शक्ति

महाविद्यालय या विद्यालय के, जो अनुसूची में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने का इच्छुक हो, शासी निकाय या प्राधिकारियों से —

(क) ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ या अन्य जानकारी भेजने की माँग करे, जिसकी परिषद् उनमें औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और धात्री कर्म के सम्बन्ध में दिए जाने वाले शिक्षण की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षा करे;

(ख) ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने की माँग करे, जिससे ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में परिषद् द्वारा तदर्थ प्रतिनियुक्त परिषद् का सदस्य उपस्थित हो सके।

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (ब्रिटिश इण्डिया) के लिए प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा "गजट" के लिए प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (लाहौर) निकाला गया।

[सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917]

[धारा 21—25]

21— ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपना नाम लिए

रजिस्ट्रीकरण के

प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन दे, वह —
सूचना

आवेदन से अपेक्षित

(क) रजिस्ट्रार का समाधान करेगा कि उसे धारा 19 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा (यदि कोई हो) यथापरिवर्तित अनुसूची में निर्दिष्ट कोई पदवी या अर्हता, प्राप्त है; और

(ख) यदि वह चिकित्सा अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तो —

(एक) रजिस्ट्रार को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के दिनांक की सही-सही सूचना देगा;

(दो) रजिस्ट्रार को उन पदवियों या अर्हताओं का, जिनके सम्बन्ध में वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत है तथा उन दिनांकों का, जब उसने उन्हें प्राप्त किया हो, सही-सही विवरण देगा; या

(ग) यह वह चिकित्सा अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं तो रजिस्ट्रार को उन दिनांकों की सही-सही जानकारी देगा, जब उसने वे पदवियाँ और अर्हताएं प्राप्त की हो, जिनके आधार पर उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की माँग करने का हक प्राप्त हुआ हो; और

(घ) रजिस्ट्रार को कोई भी ऐसी जानकारी देगा, जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य-पालन के प्रयोजन के लिए उचित रूप में अपेक्षा करे।

22— यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में पदवियों	रजिस्टर में नई
प्रविष्ट हो, उस पदवी या अर्हता से, जिसके सम्बन्ध में उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, भिन्न प्रविष्ट	तथा अर्हताओं का
कोई पदवी या अर्हता प्राप्त करे, तो वह ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जो धारा 34 (3) (ख) के अधीन बनाए गए विनियम द्वारा तदर्थ विहित की जाय, रजिस्टर में अपने नाम के सामने पहले की गई किसी प्रविष्टि को या तो प्रतिस्थापित करा कर या उसमें परिवर्द्धन करा कर ऐसी अन्य पदवी या अर्हता प्रकट करने वाली प्रविष्टि कराने का हकदार होगा।	किया जाना
23— इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त फीसों का उपयोग, इस व्ययन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उन नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो [राज्य सरकार] ¹ द्वारा धारा 34 (2) (ग) के अधीन बनाए जायं।	फीस का
24— यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में उसकी कोई पदवी या विनिश्चय के	रजिस्ट्रार के
अर्हता प्रविष्टि करने से इन्कार करने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के विनिश्चय से असंतुष्ट हो तो अपील	विरुद्ध परिषद् को
वह ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीन महीने के भीतर किसी भी समय परिषद् को अपील कर सकेगा।	
25— चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में की गई कोई ऐसी प्रविष्टि, जिसके सम्बन्ध में परिषद् के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाय कि वह कपटपूर्ण या गलत ढंग से की जाना	कपटपूर्ण तथा गलत प्रविष्टियों का काटा
गई है, सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दिए जाने तथा उसकी आपत्ति पर, यदि कोई हो, विचार कर लिए जाने के पश्चात्, परिषद् के लिखित आदेश के अधीन काटी जा सकेगी।	
1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।	
{सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917}	{धारा 26—29}
26— (1) परिषद् रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर अन्यथा, रजिस्टर में किसी ऐसे प्रविष्टि	रजिस्टर में नाम
चिकित्सा व्यवसायी का नाम प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उससे हटाने का प्रतिषेध,	किए जाने का
आदेश भी दे सकेगी :—	करने या उसे हटाने का निदेश देने आदि की परिषद् की
(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास का शक्ति	
दण्ड दिया गया हो, जिससे परिषद् की राय में, उसके चरित्र में कोई ऐसा दोष उपदर्शित होता हो, जिसके कारण रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्टि करना या बनाए रखना, अवांछनीय हो; या	
(ख) जिसे परिषद् ने ऐसी जाँच के पश्चात् (जिसमें उसे अपने प्रतिवाद में सुनवाई का तथा या तो स्वयं या विधि परामर्शदाता, वकील, प्लीडर या अटार्नी द्वारा उपस्थित होने का अवसर दिया गया हो और जो परिषद् के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी), बैठक में उपस्थित और मत देने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से, किसी व्यावसायिक दृष्टि से निन्दनीय आचरण ² का दोषी पाया हो।	
(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर से इस आधार पर निकाले जाने या हटाए जाने का औचित्य सिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी कि उसने औषधि चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा का ऐसा सिद्धान्त अपनाया है, जो तत्समय स्वीकृत विचारधारा के अनुरूप नहीं है या उसकी किसी वैद्य, हकीम या होम्योपैथ से या किसी अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से, जब तक कि वह अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी—	
(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता हो; और	

(ख) ऐसा व्यक्ति न हो, जिसके नाम के सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर से निकाल या हटा दिया गया है या उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिए जाने पर उसे इस प्रकार निकाल दिया जाएगा, साहचय रहा है।

(3) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, यथास्थिति, रजिस्टर में प्रविष्ट या पुनः प्रविष्ट कर लिया जाय।

27— (1) धारा 24 या 26 के अधीन परिषद् के प्रत्येक विनिश्चय से विरुद्ध राज्य सरकार को अपील की जा सकेगी

के

सरकार

विरुद्ध राज्य को अपील

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीन महीने के भीतर की जाएगी।

28— [राज्य सरकार] या परिषद् या रजिस्ट्रार को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विधिक

शक्तियों का प्रयोग करके किए गए किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक वर्जन कार्यवाही न की जा सकेगी।

वादों तथा अन्य कार्यवाहियों का

29— (1) मृत्यु सम्बन्धी प्रत्येक रजिस्ट्रार, जो किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त करे, जिसके नाम के बारे में उसे यह ज्ञात हो कि वह चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर का काटा

में प्रविष्ट है, मृत्यु के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ देते हुए, ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, परिषद् के रजिस्ट्रार को डाक द्वारा अविलम्ब भेजेगा।

मृत्यु की सूचना और रजिस्टर से नामों जाना

1. एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्शन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

2. 1923 के गजट भाग 1 में पृष्ठ 366 पर विज्ञप्ति सं० 323, दिनांक 28 मार्च, 1923 देखिये।

{सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917}

{धारा 30—33}

(2) उक्त प्रमाण-पत्र या ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर परिषद् का रजिस्ट्रार मृत व्यक्ति का नाम रजिस्टर से काट देगा।

30— यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में द्वारा

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

प्रविष्ट न हो, झूठे ही यह बहाना करेगा कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है या अपने नाम या रजिस्ट्रीकृत शास्त्र पदवी के सम्बन्ध में किन्हीं ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करेगा, जिनसे यह निरूपण हो कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है तो वह चाहे ऐसा निरूपण करने से कोई व्यक्ति वास्तव में प्रवृत्त हो या नहीं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अपने को निरूपित करने पर

31— धारा 26 के अधीन की गई किसी जाँच या धारा 24 के अधीन किसी अपील के में

जाँच तथा अपीलों

प्रयोजन के लिए परिषद् को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझा जाएगा और वह पब्लिक सर्वेन्ट्स (इनक्वायरीज) ऐक्ट, 1850 के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रत्येक जाँच तथा अपील, यथासम्भव उक्त पब्लिक सर्वेन्ट्स (इनक्वायरीज) ऐक्ट, 1850 की धारा 5 तथा धारा 8 से 10 तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी।

प्रक्रिया

32— [राज्य सरकार] या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की सामान्य या का

कतिपय नियुक्तियों

विशेष मंजूरी के बिना रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के भिन्न कोई व्यक्ति, किसी ऐसे चिकित्सा चिकित्सालय, उन्मत्तालय, रुग्णावास, औषधालय या प्रसवाश्रम में, जो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक के लिए

रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों आरक्षित

किया जाना या यूनानी पद्धति के अनुसार चिकित्सा उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से

अनुरक्षित संस्थान हो और जिसे पूर्णतः या अंशतः सार्वजनिक या स्थानीय निधियों से आश्रय मिलता हो, स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सक, शल्य चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए सक्षम न होगा।

चिकित्सा व्यवसायियों की वार्षिक सूची

33— (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष परिषद् द्वारा तदर्थ नियत दिनांक को या उसके पूर्व व्यवसायियों का	चिकित्सा
चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट नामों की शुद्ध सूची मुद्रित तथा प्रकाशित चिकित्सा	रजिस्ट्रीकृत
कराएगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दी गई होंगी —	व्यवसायियों के लिए आरक्षित किया जाना

(क) रजिस्टर में प्रविष्ट समस्त नाम, जो कुलनामों के अनुसार वर्ण-क्रम से रखे गये हों;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत पता या नियुक्त, जिसका नाम रजिस्टर में प्रत्येक हो; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत पदवियाँ एवं अर्हतायें और वह दिनांक जब ऐसी प्रत्येक पदवी प्रदान की गयी या ऐसी प्रत्येक अर्हता प्रमाणित की गयी।

(2) प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी सूचियों में से नवीनतम सूची में प्रविष्ट हो, इस अधिनियम के अधीन यथाविधि रजिस्ट्रीकृत है और कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट न हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है:

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

{सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917}

{धारा 34-35}

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसका नाम ऐसी सूची में न हो, चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की, रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति, इस बात का साक्ष्य होगी कि वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

नियम और विनियम

34— (1) {राज्य सरकार} ¹ इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, विनियम	नियम और
पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम से संगत नियम, समय-समय पर, बना सकेगी।	
(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना {राज्य सरकार} ¹ निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी —	
(क) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों को विनियमित करना;	
(ख) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर का प्रपत्र विहित करना;	
(ग) फीसों के उपयोग को विनियमित करना;	
(घ) परिषद् द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना —	
(एक) धारा 26 के अधीन किसी जाँच का संचालन; और	
(दो) धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध की गई अपीलों का निस्तारण।	
(3) धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अतिरिक्त, परिषद् {राज्य सरकार} ¹ की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगी :—	
(क) परिषद् के सदस्यों को देय व्ययों को विहित करना;	
(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में ली जाने वाली फीस विहित करना; और	

(ग) लेखा रखने के कार्य को विनियमित करना।

(4) ऐसे समस्त नियम और विनियम, {सरकारी गजट}² में प्रकाशित किए जाएंगे।

35— यदि किसी समय {राज्य सरकार}¹ को यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस द्वारा

राज्य सरकार

अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है या उसकी सीमा का नियंत्रण

परिषद् का

उल्लंघन किया है अथवा उसका दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो {राज्य सरकार}¹ उस दशा में जब वह शक्ति का इस प्रकार प्रयोग न करने, उसकी सीमा का उल्लंघन करने या उसका दुरुपयोग करने की गम्भीर प्रकार का समझे, परिषद् को उनकी विशिष्टियाँ अधिसूचित करेगी और यदि परिषद् ऐसे समय के भीतर, जो {राज्य सरकार}¹ द्वारा तदर्थ नियत किया जाय, ऐसे व्यतिक्रम, सीमा के उल्लंघन या दुरुपयोग का उपचार न करे तो {राज्य सरकार}¹ परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अवधि के लिए करा सकेगी, जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि वह धारा 4 में विहित सदस्यों की नई परिषद् संघटित करने के लिए सुविधानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी।

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो कि एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा "गजट" के लिए प्रतिस्थापित।

{सं० प्रा० चिकित्सा अधिनियम, 1917}

{धारा

36—अनुसूची}

36— इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा व्यवसायियों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

व्यावृत्ति

37— [* * *]¹

अनुसूची

चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपने नाम प्रविष्ट कराने के हकदार व्यक्ति

{धाराएं 18, 19, 20 और 21 देखिए}

1— ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास कोई ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या लाइसेन्स हो, 1933

एक्ट सं० 27 वर्ष

जो समय-समय पर यथासंशोधित इण्डियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट, 1933 की अनुसूची 1 या 2 में सम्मिलित हो या जिसे भारत में, गर्वनर जनरल इन काउंसिल या भारत के किसी प्रान्त के गर्वनर के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो।

2— प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे भारत {या बर्मा}³ के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय या विद्यालय में प्रशिक्षित किया गया हो और जिसके पास सम्बद्ध सरकार द्वारा प्रदान किया हुआ, ऐसा डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, जो यह घोषित करे कि —

(क) वह औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या धात्री कर्म का व्यवसाय करने; या

(ख) सेना सहायक शल्य चिकित्सक, चिकित्सालय सहायक या अवर सहायक शल्य चिकित्सक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अर्ह है।

3— ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे पश्चिमी बंगाल की स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा या बम्बई के कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स द्वारा या पूर्वी पंजाब स्टेट मेडिकल फैकल्टी, सेंट्रल प्राविसेज मेडिकल एक्जामिनेशन बोर्ड, यू०पी० स्टेट बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्जामिनेशन्स, बिहार एंड उड़ीसा मेडिकल इक्जामिनेशन बोर्ड या बर्मा मेडिकल इक्जामिनेशन बोर्ड या बोर्ड ऑफ इक्जामिनर्स, मेडिकल कॉलेज, मद्रास द्वारा इसी तरह से अर्ह घोषित करते हुए कोई डिप्लोमा प्रदान किया गया हो।

4— {लखनऊ विश्वविद्यालय का एम०बी०बी०एस०।}⁴

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा धारा 37 निकाली गयी, जो कि एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा जोड़ी गयी थी।

2. विज्ञप्ति सं० 3394 पांच-18, दिनांक 22, सितम्बर, 1943 के द्वारा अनुच्छेद 1 और 2 के लिये प्रतिस्थापित किये गये, जो कि उसी दिनांक से प्रभावी हुए। शेष अनुच्छेद तदनुसार पुनर्संख्यांकित किये गये।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. विज्ञप्ति सं० 4257 पांच-1700-61, दिनांक 6 जून, 1961 द्वारा संशोधित।

THE UNITED PROVINCES MEDICAL ACT, 1917¹

[U. P. ACT NO. III OF 1917]

Amended by

U. P. Act no. V. of 1922

U. P. Act no. IV of 1931

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937.

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950.

[Received the assent of the Lieutenant-Governor on the 21st May 1917 and of the Governor-General on the 19th July, 1917, and was published² under section 81 of the Government of India Act, 1915, on the 4th August, 1917.]

A

N

A

C

T

to provide for the Registration of certain Medical Practitioners in the United Provinces.

WHEREAS it is expedient to provide for the registration of certain medical practitioners in the United Provinces:

It is hereby enacted as follows :---

Preliminary

Short
title, extent and
commencement
Pradesh.]³

1. (1) This Act may be called the United Provinces Medical Act, 1917.
- (2) [It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.]⁴
- (3) ⁴Sections 30 and 32 shall not come into force until a date to be appointed in this behalf by the [State Government]⁵ by notification in the [Official Gazette].⁶

Definitions

2. In this Act---

(a) the expression "the Medical Acts" means the Medical Act, 1858, and the Acts amending the same;

(b) the expression "the Council" means the Council" established under section 3; and

(c) the expression "registered practitioner" means a person registered under the provisions of this Act.

1. For S. O. R. 888 Gaz. 3, 1916, P. VII, p. 28.
2. See Gaz., 1917, Pt. VII, p. 875.
3. Subs. for sub-sec. (2) of sec. I by the A. O. 1950.

4. Section 30 was brought into force from Jan. 1, 1919, see not, no, 165/V-19, d. April, 2, 1918 in Gaz., 1918, Pt. I, p. 289 and sec. 32 from Sept. 19, 1941, see not. no. N-161/V-601, dated September 19, 1941, in Gaz, 1941, Pt. I, p.442.
5. Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government), which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.).

[The United Provinces Medical Act, 1917]
4]

[Section 3-

The Uttar Pradesh Medical Council

Establishment of the Uttar Pradesh Medical Council

3. A Council shall be established and called "[Uttar Pradesh]³ Medical Council"; of and such Council shall be a body corporate and have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued:

Constitution of following Council

4. (1) The said Council shall consist of thirteen¹ members appointed in the manner; namely: -

(a) a president to be nominated by the [State Government]⁵ ;

(b) five members to be nominated by the [State Government]⁵ ;

[(c) one member to be elected by the Executive Council of the Lucknow University;]²

(d) One member to be elected by medical practitioners who--

(i) are registered under the Medical Acts, or are doctors, bachelors or licentiates of medicine, or masters of obstetrics, or masters, bachelors or licentiates of surgery of the Universities of Calcutta, Bombay, Madras or Lahore ;

(ii) are residing in [Uttar Pradesh]³ and registered under this Act or, in the case of the first election, qualified to be so registered; and

(iii) are in the ⁵[service of the [Government]⁴] ;

(e) two members to be elected by medical practitioners who are not in the ⁵[service of the [Government]⁴] but are otherwise qualified in the manner prescribed in clause (d) ;

(f) one member to be elected by medical practitioners who, not being qualified in the manner, prescribed in sub-clause (i) of clause (d),-

(i) are residing in [Uttar Pradesh]³ and registered under this Act or, in the case of the first election, qualified to be so registered, and

(ii) are in the ⁵[service of the [Government]⁴].

(g) [two members]⁶ to be elected "by medical practitioners who are not in the [service of the (Government)]⁵ but are other-wise qualified in the manner prescribed in clause (f);

(h) one member to be elected by the medical graduates of the [Universities of Allahabad and Lucknow.]⁷

1. The number of members has now risen to fifteen (vide subs. s. 2 of this section.).

2. Clause (c) was del. by s. 2 (n of n. P, Act IV of 1931. and this cl. which was ins. as cl. (d) by s. 2 (1) of U. P. Act V of 1922 was numbered as cl. (c) by s. :2 (2) of the former Ad..

3. Subs. by the A. O. 1950 for (the United Provinces).

4. Subs. by the A. O. 1937 for (Service of Govt.).

5. Subs. by the A. O. 1950 for (Crown).

6. Subs. for "one member" by s , 2 (3) of U. P. Act IV of 1931.

7. Subs. for "University of Allahabad" by s. 2 (2) of U. P. Act V of 1922.

[The United Provinces Medical Act, 1917]
5-9]

[Section

- (2) Provided that upon the expiry Of five years from the commencement of this Act, two members instead of one shall be elected by the medical graduates of the [Universities of Allahabad and Lucknow]³ and thereafter the said Council shall consist of [fifteen]⁴ members instead of [fourteen]⁵.

Nomination of
members in
of
election

5. If any electoral body referred to in section 4 does not, in the case of a vacancy referred to in section 10, within three months and, in any other case, by such default date as may be prescribed by rule made in that behalf under section 34(2) (a),

elect a person to be a member of the Council, the [State Government]¹ shall nominate a member in his place, and a person so nominated shall be deemed to be a member as if he had been duly elected by such body.

Disqualifica-
the tions for
membership

6. (1) A person shall be disqualified for being elected or nominated a member of Council if he-

(a) is not registered under this Act;

(b) has been sentenced by a criminal court to imprisonment, for an offence punishable with imprisonment for a term exceeding six months or to transportation, such sentence not having subsequently been reversed or remitted, and such person's disqualification on account of such sentence not having been remitted by an order which the [State Government]¹ is hereby empowered to make, if it thinks fit, in this behalf;

(c) is an undischarged insolvent; or

(d) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind.

- (2) Provided that, in the case of first elections held and first nominations made under this Act, clause (a) of sub-section (1) shall be read as if it were "is not qualified to be registered under this Act".

Publication of
names of
members

7. The name of every person elected or nominated a member of the Council shall be published by the [State Government]¹ in the [Official Gazette]².

Leave of
absence to
members

8. The Council may permit a member to absent himself from meetings of the Council for a period not exceeding six months.

Occurrence of
casual
nomination or vacancies

9. (1) A member of the Council shall be deemed to have vacated his seat who--
(a) fails to accept office within one month of the date of his election, or

1. Subs. by the A. O. [1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L.G.).

3. Subs. for "Allahabad University" by. section 2 (3) of U. P. Act V of 1922 *ibid.* 4. Subs. for "fourteen" by *ibid.*

5. Subs. for thirteen" by *ibid.*

[The United Provinces Medical Act, 1917]
10-14]

[Section

(b) is absent without excuse sufficient in the opinion of the Council from the three consecutive meetings of the Council, or

(c) is absent out of India for a period exceeding six consecutive months, or

(d) becomes subject to any of the disabilities set forth in section 6.

(2) On the occurrence of a vacancy referred to in sub-section (1), the president shall forthwith report the fact of such vacancy to the [State Government]¹.

Filling of 10. If a member of the Council dies or resigns his membership, or ceases to be a casual member as provided in section 9 (1), the vacancy shall be filled within three vacancies months by a fresh election or nomination, as the case may be.

Terms of 11. (1) The term of office of a member of the Council shall be three years from the office of date of his acceptance of office. members

of (2) A person ceasing to be a member by reason of the expiration of his term office shall, if not disqualified for any of the reasons mentioned in section 6, be eligible for re-election or re-nomination.

Quorum and 12. (1) No business shall be transacted at a meeting of the Council unless a quorum voting of six members be present.

(2) Save as otherwise provided in section 26 (1) (b), all questions arising at a meeting shall be decided by the votes of the majority of the members present and voting, or, in the case of an equality of votes, by the casting vote of the president, or, in his absence, of the member presiding at the meeting.

(3) No act or proceeding of the Council shall be deemed invalid merely by reason of a vacancy in the Council or of a defect in the election or nomination of a person acting as a member of the Council.

Regulations as 13. (1) Subject to the provision of this Act and of any rules made by the [State to meetings Government]¹ under this Act the Council may make regulations in respect of-

(a) the times and places at which the meetings shall be held;

(b) the issue of notices convening such meetings; and

(c) the conduct of business thereat.

(2) Until such time as the regulations referred to in sub-section (1) have come into operation, it shall be lawful for the president to summon a meeting at such time and place as to him shall seem expedient, by letter addressed to each member.

Payment of 14. There shall be paid to the members of the Council such expenses as may from expenses to time to time be prescribed by regulation under section 34 (3) (a). members

1.Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L.G.).

[The United Provinces Medical Act, 1917]
15-18]

[Section

Appointment 15. (1) With the previous sanction of the [State Government]¹ the Council -
- of registrar and
other officers

(a) shall appoint a registrar

(b) may grant leave to such registrar and appoint a person to act in his place; and

(c) shall pay to the registrar and to the person (if any) appointed to act in his place such salary and such allowances (if any) as the Council may determine.

(2) The Council may appoint such other officers and such clerks and servants as it may consider necessary for the purposes of this Act, and shall pay them such salary and such allowances (if any) as the Council may determine.

(3) The registrar shall act as secretary to the Council.

(4) Every person appointed under sub-sections (1) and (2) shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

The Register of Medical Practitioners

Orders by 16.
Council for
maintenance
of register

(1) The Council shall, as soon as conveniently may be after the commencement of this Act, and from time to time as occasion may require, make orders for regulating the maintenance of the register of medical practitioners.

made

(2) The said register shall be kept in such form as may be prescribed by rule under section 34 (2) (b).

Registrar's 17.
functions in
respect of

(1) The Registrar shall keep the register of medical practitioners in accordance with the provisions of this Act and of any orders made by the Council and shall from time to time make all necessary alterations in the registered register addresses or appointments and the registered qualifications or titles, of the practitioners entered therein and erase the names of any practitioners who have died or have permanently ceased to practise in India.

(2) To enable the Registrar to fulfill the duties imposed upon him by sub-section (1), he may send through the post a letter to any registered practitioner, addressed to him according to his registered address or appointment, to inquire whether he has erased to practise or whether his residence or appointment has been changed, and, if no answer to any such letter is received within a period of six months from its dispatch, the Registrar may erase the name of such registered practitioner from the register :

Provided that any name erased under this sub-section may be re-entered in the register under the direction of the Council.

Persons 18.
to be
registered

(1) Every person referred to in the schedule shall, subject to the provisions entitled hereinafter contained, and on payment of such fees as may be prescribed in this behalf by regulations made under section 34 (3) (b), be entitled to have his name entered in the register, of medical practitioners.

1. Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Govt.) which had been subs. by A.O. 1937 for (L. G.)

[The United Provinces Medical Act, 1917]
19-20]

[Section

(2) Provided that the Registrar shall refer to the Council any application for entry in the register from a person in respect of whom he considers that the Council may wish to proceed under section 26 (1).

(3) Provided also that the Registrar, if so directed by the Council, shall refuse to register the name of any person who holds a medical degree, diploma, or certificate granted in any foreign country or British colony which does not recognize the medical degrees, diplomas or certificates of the Universities or [State Government]¹ of [India]².

Amendment of 19. If the Council is satisfied- ---
Schedule

Medical (a) that a title granted or qualification certified by a University,
Corporation, examining body or other institution is a sufficient guarantee that

persons holding such title or qualification possess the knowledge and skill requisite for efficient practice of medicine, surgery and midwifery, or

(b) that a title or qualification referred to in Article 3 of the Schedule is not a sufficient guarantee as aforesaid,

it may make a report to that effect to the [State Government]¹ which may, if it thinks fit, thereupon direct, by notification in the [official Gazette]²-

(1) in case (a), that the possession of such title or qualification shall; subject to the provisions hereinafter contained, and on payment of such fee as may be prescribed in this behalf by regulation made under section 34 (3) (b), entitle a person to have his name entered in the register of medical practitioners, or

(2) in case (b), that the possession of such title or qualification shall not entitle a person to have his name entered in the said register ; and the schedule shall thereupon be deemed to be altered accordingly.

Power of 20. The Council shall have power to call on the governing body or authorities of a Council to call medical college or school other than a college or school affiliated to the for information University of Allahabad, [***]⁴ Calcutta, Bombay, or Madras, included in or from medical desirous of being included in the schedule- college or school (a) to furnish such reports, returns, or other information as. the Council may require to enable it to judge of the efficiency of the instruction given therein in medicine, surgery, and midwifery; and

(b) to provide facilities to enable a member of the Council deputed by the Council in this behalf to be present at the examinations held by such college or school.

1- Subs. by the A.O 1950 for (Prov. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L.G.).

2 - Subs. by the A. O. 1950 for (British India).

4- The word (Lahore) Omit. by the A. O. 1950.

[The United Provinces Medical Act, 1917]
21-25]

[Section

Information 21. Every person who applies to have his name entered in the register of medical required of practitioners- -----
applicant for
registration

(a) must satisfy the Registrar that he is possessed of some title or qualification referred to in the schedule, as alerted by notifications (if any) issued under section 19; and

(b) if he is registered under the Medical Acts, --

(i) must correctly inform the Registrar of the date of such registration, and

(ii) must furnish the Registrar with a correct statement of the titles or qualifications in respect of which he is so registered, and of the dates on which he obtained them, or

(c) if he is not registered under the Medical Act, must correctly inform the Registrar of the dates on which he obtained the titles or qualifications which entitle him to claim registration under this Act, and

(d) give the Registrar any information which he reasonably may require for the purpose of discharging his duties under this Act.

Entry of new 22. If a person whose name is entered in the register of medical practitioners titles and obtains any title or qualification other than the title or qualification in respect qualifications of which he has been registered, he shall on payment of such fee as may be in register prescribed in this behalf by regulation made under section 34 (3) (b), be

entitled to have an entry stating such other title or qualification made against his name in the register, either in substitution for, or in addition to , any entry previously made.

Disposal of 23. All fees received by the Council under this Act shall be applied for the fees purposes of this Act, in accordance with such rules as may be made by the [State Government]¹ under section 34 (2) (c).

Appeal to 24. If a person is dissatisfied with a decision of the Registrar, refusing to enter Council from any title or qualification of such person in the register of medical decision of practitioners, he may, at any time within three months from the date of such Registrar decision, appeal to the Council.

Erasure of 25. Any entry in the register of medical practitioners, which is proved to the fraudulent and satisfaction of the Council to have been fraudulently or incorrectly made, may incorrect be erased under an order in writing of the Council, after notice has been given entries to the person concerned and his objections if any, have been considered.

1. Subs. by. A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been sub-section by the A. O. 1937 for (L.G.). .

[The United Provinces Medical Act, 1917]
26-29]

[Section

Power of 26.
Council to
prohibit entry
in, or to direct
removal from
an the register
etc.

- (1) The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise, prohibit the entry in, or order the removal from the register of the name of any medical practitioner --

(a) who has been sentenced by a criminal court to imprisonment for offence indicating in the opinion of the Council such a defect in character as would render the entry or continuance of his name in the register undesirable, or

(b) whom the Council after inquiry (at which an opportunity has been given to him to be heard in his defence and to appear either in person or by counsel, vakil, pleader or attorney, and which may in the discretion of the Council be held, in camera) has found guilty by a majority of two- thirds of the members present and nothing at the meeting of infamous conduct in any professional respect.²

- (2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to justify the exclusion or removal from the register of the name of any medical practitioner on the ground of his adoption of a theory of medicine and surgery not in accordance with the accepted view for the time being or of his association with a vaid, hakim, or homoeopath or an unregistered practitioner, so long as that unregistered practitioner--

(a) is possessed of one of the qualifications specified in the schedule, and

(b) is not a person whose name he has reason to believe, has been excluded or removed from the register by the Council under sub-section (1) or would be so excluded if application for registration thereof were made.

- (3) The Council may direct that the name of any person against whom an order has been made under sub-section (1) shall be entered or re-entered as the case may be.

Appeal to 27. (1) An appeal shall lie to the [State Government]¹ from every decision of the State Council under section 24 or 26.

Government

from decision

of council from the date of such decision.

- (2) Every appeal under sub-section (1) shall be preferred within three months

Bar to suits 28. No suit or other legal proceeding shall lie in respect of an act done in the and other legal exercise of a power, conferred by this Act on the [State Government]¹ or the proceedings Council or the Registrar.

Notice of 29. (1) Every Registrar of deaths who receives notice of the death of a person whose deaths and name he knows to be entered in the register of medical practitioners shall erasure of forthwith transmit by post to the Registrar of the Council a certificate of such names from death, signed by him and stating particulars of the time and place of death. register

1.Subs. by the A.O. 1950 for (Prov1. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.)

2.See. No . 329.d. /March 28, 1923 in Gaz. 1923. Pt.I. p. 366•

[The United Provinces Medical Act, 1917]
30-33]

[Section

- (2) On receipt of such certificate, or other reliable information regarding such death, the Registrar of the Council shall erase the name of the deceased person from the Register.

Penalty on 30. If a person whose name is not entered in the register of medical practitioners

unregistered falsely pretends that it is so entered or uses in connection with his name or the person any words or letters representing that his name is so entered, he shall, whether representing

any person is actually deceived by such representation or not, be punishable that he is on conviction by a magistrate of the first class, with fine which may extend to registered three hundred rupees.

Procedure in 31. For the purpose of any inquiry held under section 26, or of any appeal under inquiries and section 24, the Council shall be deemed to be a court within the meaning of appeals the Indian Evidence Act, 1872, and shall exercise the powers of a Commissioner appointed under the Public Servants (Inquires) Act, 1850; and every such inquiry and appeal shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 to 10 of the said Public Servants (Inquiries) Act, 1850.

Reservation of 32. Except with the general or special sanction of the [State Government]¹ or of certain appointments practitioner shall be competent to hold an appointment as medical officer of to registered

health, or as physician, surgeon, or other medical officer in a hospital, asylum, practitioners infirmary, dispensary, or lying in hospital, not being an institution avowedly maintained for the purpose of medical treatment according to the homoeopathic, Ayurvedic or Unani system, which is supported partially or entirely by public or local funds.

Annual Medical List

Publication of 33. (1) The Registrar shall, in every year, on or before a date to be fixed in this behalf and presum- by the Council, cause to be printed and published a correct list of the names ption as to for the time being entered in the register of medical practitioners and setting entries in

forth--- Annual

Medical List

(a) all names entered in the register arranged in alphabetical order according to the surnames ;

(b) the registered address or appointment of each person whose name is entered in the register; and

(c) the registered titles and qualifications of each such person, and the date on which each such title was granted or each such qualification was certified.

(2) Every court shall presume that a person whose name is entered in the latest of such lists is duly registered under this Act and that a person whose name is not so entered is not registered under this Act:

1.Subs. by the A.O. 1950 for (Provl. Government) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.)

[The United Provinces Medical Act, 1917]
34-35]

[Section

Provided that, in the case of a person whose name does not appear in such list, a certified Copy signed by the Registrar, of the entry of the name of such person in the register of medical practitioners shall be evidence that such person is registered under this Act.

Rules and Regulations

Rules and 34.
Regulations

(1) The [State Government]¹ may, after previous publication from time to time make rules consistent with the Act to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the [State Government]¹ may make rules --

(a) to regulate elections under this Act;

(b) to prescribe the form of the register of medical practitioners to be maintained under this Act;

(c) to regulate the application of fees;

(d) to regulate the procedure to be followed by the Council in --

(i) conducting any inquiry under section 26, and

(ii) disposing of appeals from the decision of the Registrar preferred under section 24.

(3) In addition to the power conferred by section 13 the Council may, with the previous sanction of the [State Government]¹, make regulations-

(a) to prescribe the expenses payable to members of the Council ;

(b) to prescribe the fees chargeable in respect of any registration under this Act; and

(c) to regulate the keeping of accounts.

Control of 35. If at any time it shall appear to the [State Government]¹ that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred upon it under State this Act or has failed to perform a duty imposed upon it by this Act, the [State Government

Government]¹ may, if it considers such failure, excess, or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council; and if the Council fails to remedy such default, excess or abuse within such time as may be fixed by the [State Government]¹ in this behalf, the [State Government]¹ may dissolve the Council and cause all or any of the powers and

duties of the Council to be exercised and performed by such agency and for such period as it may think fit :

Provided that it shall take steps as soon as may be convenient to constitute a new Council of the members prescribed in section 4.

1. Subs. by the A. O. T950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A.O. 1937 for (L. G.)

[The United Provinces Medical Act, 1917]
Schedule]

[Section 36-

Saving 36. No provisions of this Act shall affect a homoeopathic, Ayurvedic or Unani practitioner.

37. [* * *]₁



THE SCHEDULE**PERSONS WHO ARE ENTITLED TO HAVE NAMES ENTERED IN
THE REGISTER OF MEDICAL PRACTITIONERS****(See Sections 18, 19, 20 and 21)**

1. Every² person who holds a degree, diploma or licence which is included in Schedule I or II to the Indian Medical Council Act, as amended from time to time or granted by the Universities in India established by an Act of the Governor General in Council or of the Governor of any Province in India.
2. Every person who has been trained in a Government Medical College or School in India, [or Burma]³ and holds a diploma or certificate, granted by the Government [concerned]³, declaring him to be qualified-
 - (a) to practise medicine, surgery and midwifery, or
 - (b) to perform the duties of military assistant surgeon, hospital assistant or sub-assistant surgeon.
3. Every person who has been granted a diploma by the State Medical Faculty in West Bengal or by the College of Physicians and Surgeons of Bombay or by the East Punjab State Medical Faculty, the Central Provinces Medical Examination Board, the U. P. State Board of Medical Examinations, the Bihar and Orissa Medical Examination Board, the Burma Medical Examination Board or the Board of Examiners, Medical College; Madras declaring him to be qualified in like manner.
4. [B. M. B. S. of Lucknow University.]⁴
 1. Section 37 omitted by A. O. 1950 which had been added by the A. O. 1937.
 2. Subs. for Articles 1 and 2 by notification no. 3394/V -18, d. Sept. 22, 1943, which came into force from the same date. The remaining articles were accordingly renumbered.
 3. Ins. by the A. O. 1937.
 4. Amended by Notification no. 4257-A/V-1700-61, dated June 6, 1961.